रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092024-257085 CG-DL-E-11092024-257085

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3552]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2024/भाद्र 19, 1946

No. 3552]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024/BHADRA 19, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2024

का.आ. 3885(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन निवारण अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि रिपोर्टकर्ता इकाई अर्थात् आई एन डी मनी प्राइवेट लिमिटेड ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लिक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन किया है और ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तथा आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और समुचित विनियामक अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनियमन से परामर्श करने के पश्चात् उक्त रिपोर्टकर्ता इकाई को धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजन के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन कार्य करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करती है।

[फा. सं.पी-12011/3/2022-ईएस सेल-डीओआर]

रिमझिम पांडेय. अवर सचिव

5824 GI/2024 (1)

### MINISTRY OF FINANCE

# (Department Of Revenue)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 2024

**S.O.** 3885(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government on being satisfied that the reporting entity, namely, the INDmoney Private Limited shall comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the Aadhaar Act), and it is necessary and expedient to do so, and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator namely, the Securities and Exchange Board of India, hereby permits the said reporting entity to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act.

[F. No. P-12011/3/2022-ES Cell-DOR]
RIMJHIM PANDEY, Under Secy.